वित्त निर्देश 04/2009

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग,
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 43/141/वित्त/नियम/चार/2009, रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण परिवार निवृत्ति-वेतन नियम, 1965 के अंतर्गत पेंशन का पुनरीक्षण ।

पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण परिवार निवृत्ति-वेतन नियम, 1965 के नियम 5(2) में यह प्रावधान है कि मृतक आरक्षक (पुलिसमैन) द्वारा उसकी मृत्यु के समय ली गई उपलब्धियॉं उस दिनांक तक जब वह अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता और तदोपरांत वेतनमान के अधिकतम राशि के आधे के बराबर परिवार पेंशन की पात्रता होगी ।

वित्त विभाग के ध्यान में एक ऐसा प्रकरण लाया गया है जिसमें आरक्षक की मृत्यु 1991 में हुई थी तथा शासकीय सेवा में रहने पर उसकी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त होने की तिथि 30 जून 2009 होती । प्रकरण में उसके मृत्यु की आगामी तिथि से मृत्यु के समय ली गई अंतिम उपलब्धियों के समान जितना परिवार पेंशन स्वीकृत किया गया था उतना ही परिवार पेंशन का भुगतान अभी तक किया जा रहा है ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामले में मृतक कर्मचारी के शासकीय सेवा में रहने पर समय-समय पर स्वीकृत वेतन पुनरीक्षण नियमों के अनुसार जो वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्राप्त होता वही लाभ अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्ति की तिथि तक उपरोक्तानुसार देय परिवार पेंशन के मामले में भी प्राप्त होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

NayakC:\Documents and Settings\rajesh1\My Documents\VitNerdesh\pdf_2009\Doc-file\04.doc

पृ.क्रमांक 44/141/वित्त/नियम/चार/2009, रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2009

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(हस्ताक्षर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग